Fundamental Rights guaranteed by Part III of the Constitution."

I could refer also—there is no time—to the evidence of Mr. Seervai and Mr. Setalvad who made it very clear how the best and finest and, usually, the most conservative legal opinion in this country is in support of the Bill. But we find on the other hand that the serried ranks of property and profit have joined together in order to bring about the defeat of this Bill.

The question sometimes arises that we are a very unpredictable people in India who can return the wrong kind of people to Parliament. We are what we are and we have to make do with what we happen to be. If we have a better society in this country, it will not be imported from outside or dropped from the skies. It will have to be made by our own people with their faults and their imperfections. We have been told that if Communists come to power, if they can get more than 50 per cent of seats here and the same proportion of seats in half the number of States of the country, the heavens will fall. If the Communists or the Swatantra or the Jan Sangh or any other party comes to power through the franchise of the people who are we to stop them from doing so because that will be the proper thing to do?

Somebody was saying that Reaction took over in Hitler's Germany. Of course, the Weimar Consttution was the "freest in the world." But Reaction could take over because of certain other things happening, reactionary movements taking on a tremendous character befuddling the masses into submission. Can a watertight legal text book prevent Reaction taking over where it can? Are we to go against the elemental forces of History. This measure, at any rate, wants to make sure of progress if we believe in Parliamentary Democracy. Somebody once said that Parliamentary Democracy was the worst of all political systems except for the others. The others are perhaps even worse. Can't we all combine and can't we think of a conceivable period of time when we can get together and bring about such changes as would make our country worth living and dying for ?

I think, there is a lot of meretricious talk about the sanctity of the Constitution. Acharya Kripalani excelled himself in that regard. I remember, as a student of history how during the days of the French Revolution, they put up the Declaration of the Rights of Man which they described "as trenchant as mathematical propositions, true as the truth itself, intoxicating as a vision of the absolute". That Declaration went the way of all flesh because of objective conditions of social struggle. Acharya Kripalani himself quoted the American Declaration of Rights....

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may continue on the next occasion. We will now take up the Half-an-Hour Discussion.

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

GOSADANS RUN BY CENTRAL GOSAMVARDHAN COUNCIL

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति महोदया, आज अपनी इस आध घंटे की चर्चा के द्वारा मैं इस सदन का ध्यान गोसदनों की ओर दिलाने जा रहा हूं जहां पर कि भारत सरकार का लाखों रुपया लग कर योजनाबद्ध कसाईखाना चल रहा है। भारत के गोसदनों का अपना एक इतिहास है। गांधी जी ने उस समय गोभक्त श्री सतीशचन्द दास को यह काम सौंपा था कि वह इस बात का अन्वेषण करें कि जो गायें बेकार हो जाती हैं, या जो पशु बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें किस तरीके से उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके लिए सतीशचन्द्र दास ने कई वर्षों के अन्वेषण के बाद अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम "काऊ" था। हिन्दी में उसका अनुवाद होकर दो भागों में वह पुस्तक छपी है। उस पुस्तक में विस्तार से गाय की उपयोगिता के बारे में बतलाया गया है। अगर इन गायों और पशुओं को ठीक तरीके से सही स्थान पर रक्खा जाय

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

उनके गोबर, गोमूत्र और उनके शरीर के अन्य तत्वों का अगर विधिवत उपयोग हो तो यह गायें बुढ़ापे के अन्दर भी देश के ऊपर भार नहीं बनेंगी बल्कि देश के लिये वह उपयोगी हो सकेगी।

17.32 hrs.

[SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair*]

इसी पृष्ठभूमि में सन् 1954 में नैनीताल जिले के गूलरभोज नाम स्थान पर भारत सरकार ने गोसदन खोला था। उसका उद्देश्य प्रारम्भ में यह रखा गया था :

1. गायों की नस्ल सुधारना।
2. बूढ़ी और अपंग गायों की रक्षा करना।
3. जीवन में उनके गोबर-गोमूत्र आदि का उपयोग करना और मरने पर उनकी खाल, हड्डी आदि का उपयोग करना।

लगभग तीन हजार एकड़ भूमि में यह गोसदन बना लेकिन शिन्दे साहब इस बात की साक्षी देंगे कि अब उसकी जमीन बिकते बिकते कुल 265 एकड़ ही रह गई है। यह जानकारी सरकार के कागजों में है या नहीं है? मैं इसकी जानकारी मंत्री महोदय से उनके उत्तर में खास तौर से चाहूंगा।

दूसरी बात यह है कि सन् 1954 में जब यह गोसदन बना तो यह एक साल केन्द्र के हाथ में रह कर फिर यह गोसदन और भूमि 1955 में प्रान्तीय सरकार को दे दी गई। लेकिन कुछ स्वार्थी अधिकारियों ने अपने प्रयोग के लिए इसे फिर केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद् की आड़ में 1961 में वापिस ले लिया। केन्द्रीय गोसंवर्द्धन के नाम पर कुछ अधिकारियों ने एक षड्यन्त्र रचा। इस गूलरभोज के गोसदन को फिर केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद् की आड़ में अपने हाथों में उन्होंने ले लिया। केवल यही नहीं बल्कि जो एक दूसरा गोसदन भोपाल के पास दिलावरी का था उसे भी केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद् ने अपने हाथों में ले लिया।

देश भर में यों तो 79 गोसदन हैं परन्तु केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद् दो गोसदन ही चलाती है। इन दो गोसदनों के ऊपर जो व्यय होता है उसके बारे में सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में यह बतलाया है कि पिछले तीन वर्षों में 65, 66 और 67 में इन गोसदनों के ऊपर लगभग साढ़े चार लाख रुपया सरकार का व्यय हुआ है। इस अनुपात से अगर हम हिसाब लगाएं तो 61 से 64 तक 6 लाख रुपया बना और यह सब मिला कर साढ़े दस लाख रुपया होता है। इसी अनुपात से अगर सन् 54 से 60 तक का हिसाब लगाया जाए तो वह साढ़े 11 लाख रुपया व्यय होता है। इस तरीके से 22 लाख रुपया अकेले इस गूलरभोज के गोसदन के ऊपर ही केन्द्रीय सरकार का व्यय हो चुका है। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था कि गत दो वर्षों में इन गोसदनों से कितनी गौएं नीलामी द्वारा बेची गई? उसके उत्तर में यह बतलाया गया कि सन् 66-67 में 1853 पशु नीलाम किए गए। पहले जब यह गोसदन स्थापित किया गया था तो उसमें पशुओं के नीलाम की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। उद्देश्य केवल यह था कि इनको लेकर आदर्श गोसदनों का रूप देश को दिखा सके और यह बतला सके कि किस तरीके से पशुओं की रक्षा के लिए आदर्श गोसदन स्थापित किये जा सकते हैं। लेकिन वहां के कुछ अधिकारियों ने पशुओं को नीलाम करने के बहाने और कसाइयों से पैसा लिया। नीलामी की इस आड़ में उन्होंने केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेकर इन पशुओं का नीलाम करना शुरू कर दिया। अब इस तरह कितने पशु नीलाम हुए यह तो स्वयं शिन्दे साहब अधिकृत रूप से बतला सकते हैं लेकिन हमारी जो अपनी

जानकारी है उसके अनुसार सन् 61 से लेकर 66 तक इस गोसदन के अन्दर 16,927 वहां पर गायें थी। अब कितनी उनमें नीलाम हुई इस की जानकारी सबसे अच्छा मन्त्री महोदय दे सकते हैं। आप कहते यह हैं कि यह जो पशु हम नीलाम करते हैं वह हम कसाइयों को नहीं देते हैं यह केवल गांवों के सर-पंच/पशुधन अधिकारी के प्रमाण पत्रों के दिखाने पर ही किसानों को देते हैं ताकि वह उनको उपयोगी बना कर रख सकें। लेकिन मेरे हाथ में यह दो प्रश्न हैं जो कि प्रसिद्ध गोभक्त लाला रामगोपाल शालवाले जोकि इस सदन के माननीय सदस्य हैं उन्होंने सरकार से पूछे थे और यह मन्त्री महोदय के दोनों उत्तर हैं। इनसे आपको पता लग जायगा कि सरकार की अपनी मनःस्थिति क्या है। एक ओर तो सरकार यह कहती है कि हम पशुधन अधिकारी और सरपंच के प्रमाणपत्रों के दिखाने पर उन्हें किसानों को दे देते हैं। जिससे कि वह पशुओं को लाभदायक रूप देकर अपने यहां पर रख सकें जब कि दूसरी ओर सरकार ने उन्हीं श्री रामगोपाल शाल-वाले के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कल ही यह कहा है :

"वृद्ध, क्षीण एवं अनुत्पादी गायों के रखने के लिए यह गोसदन हमने बनाया है"।

अब अगर यह वृद्ध, क्षीण और अनुत्पादी पशु हैं और किसान इसकी रक्षा वहां से खरीद कर सकते हैं तो फिर मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इन पशुओं को वहां पर भेजने की आवश्यकता ही किसान को क्या है। सर-कार इस तरह से अपने दो परस्पर विरोधी उत्तर दे रही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके पीछे किसी प्रकार का कोई रहस्य अवश्य है। सच्चाई असल में यह है कि केन्द्रीय गोसंवर्द्धन के नाम पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थानों से वहां पर गए हजारों पशु बेचे जाते हैं। इस तरह आज एक योजनाबद्ध षड़यन्त्र हमारे देश में चल रहा है जिसमें कि बड़े सस्ते दामों पर गायों को कसाइयों के हाथ बेचा जाता है।

सभापति महोदय, आपको यह सुन कर दुख होगा कि नैनीताल के रास्ते उन जंगलों में हरी घास चरने के बाद जब वह पशु अपने रूप में आ जाते हैं तब उन्हें तिब्बत के रास्ते चीन को पास कर दिया जाता है जहां जाकर उन पशुओं को काटा जाता है। एक योजनाबद्ध रूप से इस देश में पशुधन के ह्रास के लिए इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है कि जिसमें सरकार द्वारा चलाये जाने वाले गोसदन के नाम पर यह कसाईखाने सहायक हो रही हैं।

अब मैं थोड़ा सा यह बताना चाहता हूं कि इस षड़यन्त्र के अन्दर शामिल कौन कौन हैं? किन्होंने मिल कर सारे षड़यन्त्र की यह भूमिका बनाई है? दरअसल यह सारा पाप दो व्यक्ति मिल कर कर रहे हैं। एक तो भारत सरकार के पशुपालन विभाग के कमिश्नर और दूसरे इसी विभाग में अवैतनिक सलाहकार सरदार दातार सिंह हैं। यह जो सरदार दातार सिंह हैं इनके दो प्रमुख कृषि फार्म हैं जिनमें से एक तो भोपाल (बैरागढ़) और दूसरा दिल्ली में स्थित है। पहले यह सज्जन वैतनिक सलाहकार के रूप में काम करते थे और उनके ही अनुरोध पर केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद् को वह गूलरभोज और दिलावरी का गोसदन वापिस दिलाया गया। अब वहां के इन दोनों फार्मों पर सरकार के खर्चे से आना जाना, सरकारी टेलीफोन का इस्तेमाल, टी ए, डी ए, सब मिला कर इन अवैतनिक सलाहकार पर सरकार का 8-10 हजार रुपया व्यय होता है। इसके अलावा जितनी वहां की खाद होती है वह सरकारी ट्रकों से उनके खेतों में पहुंच जाती है। इसी पर एक कवि ने पहले लिखा था :

'वैतनिक से भी सवाया
आनरेरी बिल बन
यों छिपे खाना, कमाना
हमसे कोई सीख जाय।"

इस अवैतनिक सलाहकार ने किस प्रकार से काम किया उसका मैं यह परिचय आपको

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

देता हूं। दरअसल इनके दोनों फार्मों पर वहां की खाद का पूरा उपयोग किया जा रहा है। जब इस बारे में केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद् को सूचना दी गई और लोगों के कान में बात आई कि इस तरह से एक योजनाबद्ध ढंग से सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। कुछ लोग मिल कर अपने स्वार्थ के लिए इन गोसदनों का प्रयोग कर रहे हैं। उस समय श्री ढेबरभाई को जब यह बात पता चली वह इन दोनों स्थानों को देखने के लिए गए। मेरी अपनी जानकारी यह है और श्री शिन्दे साहब इसको प्रमाणित करेंगे कि श्री ढेबर भाई वहां जाकर बहुत दुखी हुए। किस प्रकार से गायों को वहां पर भूखा मार कर, प्यासा मार कर पहले कमजोर बनाया जाता है और फिर उन्हें कसाइयों के हवाले कर दिया जाता है। ढेबरभाई ने एक दर्द भरी रिपोर्ट खाद्य मंत्रालय को दी थी। मैं शिन्दे साहब से पूछना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट उनके विभाग के पास मौजूद है या नहीं? मेरी अपनी जानकारी यह है कि वह रिपोर्ट वहां से गायब कर दीगई है। वह रिपोर्ट उनके यहां नहीं है जिस आधार पर वह कुछ निर्णय ले सकें। उसके बाद जब इस बारे में आन्दोलन चला और समाचार पत्रों में निकला तो इसी सदन के एक माननीय सदस्य श्री विभूति मिश्र जो कि खुद एक किसान हैं वह इन गोसदनों को स्वयं देखने के लिए गए। उन्होंनें भी इस सम्बन्ध में अपना एक प्रतिवेदन सरकार को दिया लेकिन मेरी अपनी जानकारी है कि न तो ढेबर भाई की रिपोर्ट वहां पर है और न उसके आधार पर कोई निर्णय लिया गया और न ही श्री विभूति मिश्र का जो प्रतिवेदन था उस के आधार पर किसी प्रकार का निर्णय लिया गया।

मैं अन्त में चार मांगें करना चाहता हूं। पहली मांग यह है कि अगर गोसदन खोले जायें और यह सरकार लाखों रुपया उन पर व्यय करे तो वह उन गोसदनों को एक आदर्श रूप दे। उन्हें वह कसाईखाने न बनाये। जहां कि पशु कूड़े करकट में पड़े हों और उनके रहने का स्थान ठीक न हों। सरकार द्वारा संचालित जो गोसदन हों वह अनुकरणीय गोसदन होने चाहिए ताकि दूसरे लोग उससे कुछ सीख सकें। दूसरे, मेरा कहना यह है कि इन गोसदनों की आड़ में सरकार के पैसे का कुछ लोग नाजायज लाभ उठा रहे हैं उन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। ताकि सरकार का पैसा कुछ व्यक्तियों की जेब में न जाय बल्कि सरकार का पैसा जनसाधारण के हित में लगे। मेरी तीसरी मांग यह है कि इस सारे कांड की उच्चस्तरीय जांच कराई जाय और जो भी व्यक्ति उसके अन्दर दोषी पायें जाएं उनको दंडित किया जाना चाहिए। चौथी मांग मेरी यह है कि ढेबर भाई की जो रिपोर्ट है उसे प्रकाशित किया जाय जिससे कि वस्तुस्थिति सामने आ सके। मुझे विश्वास है कि श्री शिन्दे जिन्होंने कि स्वयं एक किसान परिवार में जन्म लिया है और जो जानते हैं कि गाय और बैल का किसान के जीवन में कितना महत्व है आज वह उस नाम पर चलने वाले गोसदनों को इस तरीके से कसाईखाने नहीं बनने देंगे और उनको एक आदर्श रूप प्रदान करेंगे।

धन्यवाद।

श्री राम गोपाल शालवाले (चांदनी चौक) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको यह बतलाना चाहता हूं कि इस गोसदन की स्थापना सन् 1955 में हुई थी और सन् 1957 में दिल्ली की म्यूनिसिपल कमेटी ने यहां से आवारा पकड़े हुए पशुओं को चांदनी चौक में कसाइयों के हाथ नीलाम किया था। उस समय मैंने ही उस नीलामी के विरुद्ध आवाज उठाई थी और आर्य समाज दीवान हाल की ओर से यह अभियान चला था कि इस तरह की नीलामी नहीं होनी चाहिए। उस समय के अध्यक्ष श्री श्याम

नाथ जी ने एक महीना भर लगातार आन्दोलन चलने के बाद हमारी मांग को स्वीकार कर लिया था और सवा तीन सौ गायें जो बेची गई थीं उनको उन्होंने मुझे बुलाकर हमारे हवाले कर दिया था । आर्य समाज दीवान हाल ने वे गायें मेरे भाई श्री त्यागी जी मेम्बर पार्लियामेंट की मार्फत गाजियाबाद की कृष्ण गोशाला के अन्दर भेजी थीं । उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली से पकड़े हुए आवारा पशुओं को गूलरभोज के गोसदन में भेजने का प्रबन्ध किया और हमें यह आश्वासन दिया कि ये गायें कसाइयों के हाथ नीलाम नहीं होंगी बल्कि वहां पर इनका पालन पोषण अच्छी तरह से होगा, इनसे दूध लिया जायगा और जनता की सेवा होगी ।

आज से लगभग तीन चार महीने पहले प्रातःकाल मुझे टेलीफोन आया काशीपुर आर्य समाज के मन्त्री का और उनकी बात को सुन कर मैं आश्चर्यचकित रह गया । उन्होंने मुझे बताया कि गूलरभोज के अन्दर जो गायें दिल्ली से आवारा पकड़ी हुई भेजी जाती हैं वे सब की सब कसाइयों के हाथ नीलाम हो जाती हैं । मैंने विश्वास नहीं किया . . . . .

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछिए ।

श्री राम गोपाल शालवाले : मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूं । इसके बाद मैं प्रश्न ही पूछूंगा ।

मैं इस टेलीफोन के बाद स्वयं वहां गया । छः सितम्बर को मैं गूलरभोज गया । मैंने गूलरभोज के गोसदन को देखा । मुझे वहां कोई नल दिखाई नहीं दिया । छः सितम्बर को वहां कोई नल नहीं था । पानी का और भी कोई प्रबन्ध नहीं था । गायों को खिलाने के बीच वाले बाड़े के अन्दर जो गायें और बछड़े बैल जख्मी अवस्था में थे, उनके ऊपर बुरी तरह से कुत्ते चिपट रहे थे । मेरे पास उनके फोटो हैं । अगर शिन्दे साहब कहेंगे तो यह सारा जो एलबम है यह मैं उनके सामने रख दूंगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : टेबल पर इसको रखो ।

श्री राम गोपाल शालवाले : नल कब लगा ? दिल्ली की महानगर परिषद के सदस्यों का एक डेलीगेशन जांच करने के लिए यहां से भेजा गया था बारह अक्तूबर को । दस अक्तूबर को वहां पर एक नल लगा दिया गया । बारह अक्तूबर को ये लोग जाने वाले थे और दस अक्टूबर को एक नल लगा दिया गया । मैं शिन्दे साहब से जानना चाहता हूं कि दस अक्तूबर के पहले नल की क्या व्यवस्था थी ? यह बताया गया था कि जो गायें हैं वे पास की नदी में जाकर पानी पी लेती हैं, लेकिन वहां जो बीमार पशु होते हैं उनके लिए पानी की क्या व्यवस्था थी, यह मैं जानना चाहता हूं । वहां पानी का जब एक भी नल नहीं था तब इनके लिए पानी की क्या व्यवस्था की जाती थी । सिफ रूप में जहां खालें उतारी जाती हैं उसमें मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रुद्रपुर से दस अक्तूबर को एक नल खरीद कर लगाया गया था । मैं चाहता हूं कि शिन्दे साहब दफ्तर वालों से पूछ कर या कागजात के आधार पर नहीं बल्कि खुद वहां जाकर जांच पड़ताल करके देखें ।

गोसदन में जो पशु बीमार हो जाते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी चिकित्सा की जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि कितने डाक्टर वहां हैं, कितने रुपये की दवाएं खर्च हुई हैं ? कागजों पर आपके पास सब बातों का जवाब हो सकता है लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उसको आप हमारे सामने रखें । अगर आप वहां जाकर अपनी आंखों से देखेंगे तो न कोई डाक्टर आपको वहां मिलेगा, न दवायें मिलेंगी न चिकित्सक मिलेगा, और न पानी का कोई प्रबन्ध ही आपको हुआ दिखाई देगा ।

मैंने स्वयं वहां जाकर देखा है कि सिसकते हुए पशुओं को बहुत बुरी तरह से काटा

[श्री रामगोपाल शालवाले]

जा रहा था। कसाईखानों में तो इनको काटा ही जाता है लेकिन गोसदन में भी पशुओं को कटते हुए मैंने देखा है। इस प्रकार गोसदन का पवित्र नाम बदनाम होता है। इस एलबम के अन्दर उसकी तस्वीरें मौजूद हैं।

मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि इतने सालों तक आपने इसका प्रबन्ध ठीक क्यों नहीं किया है और सरदार दातार सिंह के ऊपर सारी बात को क्यों छोड़े रखा? इस काण्ड की सारी जिम्मेदारी श्री दातार सिंह पर है।

सभी पशु कसाइयों के हाथ बेचे जाते हैं, कृषकों के हाथ नहीं बेचे जाते हैं। मैंने दो तीन प्रश्न पूछे थे जिनका मुझे लिखित रूप में यह उतर दिया गया कि जो पशु बेचे जाते हैं वे कृषकों के हाथ बेचे जाते हैं। मेरे पास इसका सबूत मौजूद है कि इनको कृषकों के हाथ नहीं बेचा जाता है, बल्कि इनको कसाइयों के हाथ बेचा गया है। दिल्ली महानगर परिषद् की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। जिसके आधार पर मैं पूछना चाहता हूं कि नीलामी जो होती है, उसमें कौन लोग आते हैं। मैंने गोसंवर्धन केन्द्र को चिट्ठी लिखी थी कि मुझे उन लोगों के नाम दिए जाएं जो नीलामी में पशु खरीदते हैं। अब तक मेरे पास उसका कोई उत्तर नहीं आया है। जो दिल्ली का शिष्टमंडल गया था उसकी रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि नीलामी में जो भाग लेते हैं उनके नाम हैं श्री अब्दुल गफ्फार, निवासी रामपुर, अख्तर, नब्बो रजा, मुहम्मद रजा निवासी नांगलिया, शरीफ निवासी दलीप नगर। इन लोगों ने ही आम तौर पर बोली देकर पशु खरीदे हैं। दिल्ली प्रशासन के शिष्ट मन्डल को गोसदन के रजिस्टरों को देखने से पता चला है कि इस प्रकार के आश्वासन बोली देने वालों से नहीं लिए जाते कि वे इनको काटेंगे नहीं। स्थिति की ओर जब सरदार दातार सिंह का ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि जो लोग बार बार बोली देते हैं उनसे ऐसे आश्वासन लिखित रूप में पुनः नहीं लिए जाते। वस्तुस्थिति यह है कि एक सर्टिफिकेट को छोड़कर हमें और कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाया जा सका। यह दिल्ली महानगर परिषद् के शिष्ट मण्डल की रिपोर्ट है। उन्होंने जो तहकीकात की उसके आधार पर उन्होंने यह रिपोर्ट दी है।

सभापति महोदय : आपने सात मिनट ले लिए हैं। अगर आप इतना ज्यादा समय लेना चाहते थे तो आपको डिस्कशन रेज करने के लिए कोई और तरीका अख्तियार करना चाहिए था।

श्री रामगोपाल शालवाले : मुझे मौका ही नहीं मिलता है।

यह कहा जाता है कि डोंडी पीटी जाती है। किन्तु वास्तव में कोई डोंडी नहीं पीटी जाती है। इसका आपके पास क्या सबूत है कि पीटी जाती है? केवल कुछ कसाइयों को इत्तिला दी जाती है और वे आकर नीलामी में पशुओं को ले जाते हैं।

इस बात का भी मेरे पास सबूत है कि नीलामी तो 63 रुपये की होती है लेकिन रसीद 43 रुपये की काटी जाती है।

मैं चाहता हूं कि मेरी इन सब बातों का जवाब आप बजाय कागजों में देख कर देने के वहां जाकर अपनी आंखों से देखकर और तहकीकात करें

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने इस बात की मांग की है कि एक उच्चस्तरीय जांच कमीशन इसके लिये बिठाया जाए जो वहां जाकर तहकीकात करे ताकि वस्तुस्थिति सामने आ सके। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

बहुत सी बातें मुझे कहनी थी जिनको मैं कह नहीं सका हूं। प्रधान जी ने कहा है कि

दुबारा कहने का मौका मिलेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी इन बातों का मन्त्री महोदय इस समय उत्तर दे दें। यह जो एलबम है, इसको मैं टेबल पर रखता हूं ताकि शिन्दे साहब इसको प्रमाण के रूप में देख सकें।

सभापति महोदय : इसकी क्या आवश्यकता है ? श्री शिव चन्द्र झा।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : गोसदन और गो सेवा की बात श्री प्रकाशवीर शास्त्री जीने यहां उठाई है उस सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि आजादी के बाद और खास तौर पर पहली पंचवर्षीय योजना के बाद से अब तक काऊ-स्लाटर हकीकत में इस देश में बढ़ा है ? यदि बढ़ा है तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या सरकार इसको रोकना चाहती है या जिस तरह से यह बढ़ रहा है इसको बढ़ते रहने देना चाहती है ?

दिल्ली के होटलों में हैम्बर्गर और हाट डाग बेचे जाते हैं। उनमें मांस रहता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनमें बीफ रहता है या नहीं रहता है ? अगर बीफ रहता है तो क्या वह छुटपुट बूचड़खानों से आता है अथवा मैकेनाइज्ड स्लाटर हाउसिस से आता है और प्रति सप्ताह कितने बीफ की दिल्ली में खपत होती है।

देहातों मे बूचड़ों के हाथ में गायें बेच दी जाती हैं। इसको रोकने के लिए सख्ती से क्या सरकार कोई कदम उठाना चाहती है या नहीं उठाना चाहती है ? प्रकाशवीर शास्त्री जी ने कहा है कि बहुत धांधली हो रही है और बात बिगड़ रही है। बूचड़ों के हाथ में जो गायें बेच दी जाती हैं उस पर सख्ती से नियंत्रण करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कोई कानून बनाने जा रही है या नहीं बनाने जा रही है और अगर नहीं बनाने जा रही है तो क्या राज्य सरकारों को वह आदेश देगी कि वे इसके मुताल्लिक सख्त कदम उठायें ?

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR (Sambalpur) : I want some factual information from the hon. Minister. May I know who are in over-all charge of these *gosadans*? Is there any committee and will he kindly give the names of those people who are incharge, so that we may have some idea as to whether they are interested in the proper up keep of these unfortunate animals?

Secondly, I do not understand what is really meant by action. If the cows and livestock which are useless they are auctioned. Naturally we expect that only the butchers will be interested in the purchase of these animals. Just I wanted to know why this system of auction is taking place in case these animals are really old and not useful for agricultural purposes. Is that a fact?

Thirdly I want to know if certait responsible persons who are in the managing committee of the Gosadan are also present when these auctions take place. Will the Government consider the suggestion that only on fixed days, these auctions take place so that those people who are interested in the welfare of the cattle may also be present there and see to it that the cows and livestock do not fall into undesirable hands.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है कि सरकार गोरक्षा करेगी। लेकिन जो लोग—श्री शास्त्री, श्री शालवाले, और दिल्ली प्रशासन के लोग—वहां पर गए हैं, उनका कहना है कि यह गोसदन नहीं है, कसाईखाना खुला हुआ है। इसमें वहां काम करने वालों, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कुछ बड़े अधिकारियों और कसाइयों की साजिश है। नियमों का उल्लंघन करके वे गउएं कसाइयों को बेच दी जाती हैं।

यह केवल आर्थिक सवाल नहीं है। यह पचास करोड़ लोगों की भावनाओं का सवाल है। मैं अपनी और मन्त्री महोदय की भावनाओं में कोई अन्तर नहीं समझता हूं। लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए इन सबको

[श्री कंवर लाल गुप्त]

ठीक तरह से चलानें की दृष्टि से क्या सरकार श्री शास्त्री तथा श्री शालवाले द्वारा लगाई गई और दिल्ली प्रशासन की रिपोर्ट में दी गई सीरियस एलीगेशन्ज को जांच सी० बी० आई० के जरिये करायेगी ? यह बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा, तो लोगों को तसल्ली नहीं होगी कि सरकार कार्रवाई कुछ करना चाहती है, बल्कि यह समझा जायेगा कि कुछ अफसरों के बचाव के लिए यह कसाईखाना खुला हुआ है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वहां पर चारे, पानी और दवा-दारू की ठीक व्यवस्था करने के लिए सरकार आईन्दा क्या कदम उठाना चाहती है।

दिल्ली की सरकार यहां पर एक गोसदन खोलना चाहती है, जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को एक स्कीम भेजी गई है। हम लोग मन्त्री महोदय के साथ बैठ कर उस स्कीम के बारे में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार के पास पैसे की कमी है, तो दिल्ली की जनता पैसा देने के लिए तैयार है, सरकार जो कुछ दे सकती है, वह दे। अगर वह नहीं दे सकती है, तो हम पैसा लगायेंगे। लेकिन सरकार जमीन आदि की व्यवस्था करे। वहां पर ज्यादा गायें दिल्ली की जाती हैं। जब तक यह कसाईखाना बन्द नहीं होगा, दिल्ली नगर निगम वहां गायें नहीं भेजेगा। इतना ही नहीं, अगर सरकार इसको ठीक व्यवस्था नहीं करेगी, तो पहले की तरह फिर एजीटेशन चलेगा। क्या मन्त्री महोदय दिल्ली के पार्लियामेंट के मेम्बरों के साथ बैठकर उस स्कीम को प्रेम, धैर्य और हिम्मत के साथ तथा फेवेरेबली कन्सिडर करेंगे ? अगर पैसे की दिक्कत आती है, तो उसकी जिम्मेदारी हम लेने के लिये तैयार हैं। जनता पैसा इकट्ठा करके देगी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): Hon. Member Shri Shastriji has raised the discussion on the management of Gosadans.

I am thankful to Shri Prakash Vir Shastri for raising this discussion on the floor of the House, because a number of things are being said in the press, and therefore, it is a good thing that the Government has got this opportunity to put its view points on the floor of this House.

May I say for Shri Prakash Vir Shastri's information that I am a farmer, and had this membership of Parliament not interfered, I would have continued as such. I had a good dairy of mine and even now my brother is having the best cowherd in the district and perhaps the best of all in many district in that State. As far as the love for the cow or cattle is concerned, I do not think that, as far as I am concerned, I am second to anybody. I am second to none. That is my own view. I am proud of that fact.

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव) : और भैंसों के प्रति प्रेम नहीं ? वे भी तो दूध देती हैं।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Unfortunately, a number of things, rightly or Wrongly, have spread about the gosadans. Before I go into some of the points raised by the hon. Members, I would like to explain how these gosadans have been brought about. Over a number of years, efforts are being made in this country to see that some protection is given to stray and wild cattle, but as far as wild cattle are concerned, they cause considerable damage to agricultural produce and naturally the State Government and the farmer are interested in seeing that the menace of wild cattle is put down. So they are interested in having some scheme for catching wild cattle. Then there are stray cattle in cities and elsewhere. They also cause traffic hazards and do considerable damage. Then the idea was mooted as to how all

these cattle can be taken to a place where they can be provided with, fodder, water etc. I do not think it would be possible for anybody to have very ideal conditions, like some individual farmers, where one can have veterinary aid, good fodder, drinking water and all that for the cattle. But the ideas in the gosadans is that grazing grounds should be there, and then the necessary fodder drinking water facilities should be provided. When this idea came up for the first time in 1951-52 or 1953, various experiments have been carried out in the country, a number of States have also established gosadans. I am told that there are about 79 gosadans in the country. Out of them, two are managed by the Central Council of Gosamvardhan. There may be some criticisms but the Goolarbhoj gosadan is one of the best-managed of these 79 gosadans.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : That is the worst. Are you prepared to come with me to see it?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : The point is, as far as this gosadan is concerned, about 2,000 acres of land are at the disposal of this gosadans, some of the land has been taken by the Uttar Pradesh Government for the construction of a dam. I do not have an exact idea as to how many acres have been taken by the State Government.

श्री रामगोपाल शालवाले : वहाँ पर 2400 एकड़ भूमि ले ली गई है, जिस पर डैम बन गया है। सिर्फ 300 एकड़ भूमि गोसदन के पास है। चरने के लिए जगह कहाँ है? मन्त्री महोदय के पास सिर्फ कागजी आंकड़े हैं।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Will the hon. Member allow me to say a few things? During the last few years, from 1960-61 about 23,186 cattle have been handed by gosadan. Out of them 13,846 died a natural death, and 4,655 were auctioned. The total expenditure so far, including depreciation, from 1961-62 onwards, has been Rs. 5,72,000 and the receipts have been Rs. 3,85,000 broadly.

18 hrs.

The main controversy is about auction. It was never intended that productive cattle should be maintained in *gosadans*. As soon as the cattle was handed over by Delhi Administration or UP Government productive cattle were separated. If some farmer for breeding or draft purposes, was prepared to accept them, they were handed over immediately without being taken to the *gosadans*.

श्री रामगोपाल शालवाले : किसी किसान को नहीं दी गई। सब गउएं कसाइयों को दी गई। यह बिलकुल गलत है। वह कसाई बुलाए जाते हैं और वही ले जाते हैं।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I do not know whether he is aware that some Members of Parliament, asked for some cattle from us and we have given them whenever available. Even the Dandakaranya project was supplied some cattle.

If you examine the model scheme which was evolved, there is a clause that productive cattle should be auctioned and they should not be maintained in *gosadans*. On that basis, auction is made. The usual method was, due publicity was given and the local offices—BDO's office, Collector's office, Veterinary Inspector's office, etc., were informed of the auction. During the auction, nobody was allowed to bid unless he got a certificate from the sarpanch or the tahsildar that he is a genuine farmer and he wants the cattle for breeding purposes, etc.

श्री रामगोपाल शालवाले : एक प्रमाण पत्र नहीं है। दिल्ली प्रशासन की रिपोर्ट मंगा कर आप देखिए। आपको अपनी जानकारी कुछ नहीं है, केवल कागजों से बोल रहे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। जो हमने सवाल किए उसका जवाब मन्त्री महोदय नहीं दे रहे हैं। हमने कहा है कि यह एलीगेशंस हैं, एलीगेशंस

[श्री कंवर लाल गुप्त]

हमने लगाए, शास्त्री जी ने लगाए, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। कागज में क्या है क्या नहीं है, हम इसमें इन्टेरेस्टेड नहीं हैं। हमने जो एलीगेशंस लगाए वह ठीक है या नहीं ?

MR. CHAIRMAN : When he is giving information, you are contradicting it.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : If the contention is that cows were slaughtered, the UF Government of which Jan Sangh was constituent, was in power there. In UP, cow-slaughter is banned. It was the duty of the UF Government to take necessary legal action.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, यह पोलिटिकल चीज इसको करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट हो या कोई हो, क्या आप बूचर्स को गउएं बेचेंगे ? आप एन्क्वायरी क्यों नहीं करवाना चाहते ? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ....[व्यवधान]... अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब हुआ ? यह क्यों बेचते हैं कसाइयों को? फार्मर्स को बेचना चाहिए, दूसरों को नहीं बेचना चाहिए।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : In U.P. there are cattle markets......

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I challenge his statement. He is shielding his officers.**

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : We take objection to this. He is a farmer and he loves cows much more than you do.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I have great regard for the hon. Minister.

MR. CHAIRMAN : You should not have used that word.

SHRI KANWARLAL GUPTA : I am prepared to withdraw it.

MR. CHAIRMAN : That will be expunged.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली प्रशासन ने वहां एन्क्वायरी कमेटी भेजी। उसकी एन्क्वायरी रिपोर्ट आई है। शिन्दे जी बताएं। उसकी जांच की या नहीं ? कानून के खिलाफ गउएं वहाँ काटी गई। क्या आप इसकी जांच कराएंगे ?

SHRI RANDHIR SINGH : Can they threaten the hon. Minister and get a reply ?

श्री रामगोपाल शालवाले : आप उनका संरक्षण करते हैं। आप वहां जायेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे।

SHRI RANDHIR SINGH : We respect you very much, but do not threaten the Minister. You will get a reply.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I really fail to appreciate the hon. Member's reaction when I confront them with the fact that when their party was in power, in UP, why they did not detect a single case of cowslaughter and why the UP Government did not take action....
(Interruption)

MR. CHAIRMAN : Is it the new procedure that you would like to contradict every answer and raise a debate? Let us lay down a new procedure so that I can follow. Please do not interrupt him now.

श्री रणधीर सिंह : मैं जानना चाहता हूं यह प्रोसीजर क्या है ? तीन तीन चार चार सवाल सब उधर से हो गए। हमें भी समय दिया जाय सवाल पूछने का। 60 परसेंट कांग्रेस के मेम्बर हैं। यह कैसे नाम निकाला जाता है कि उनके ही नाम निकलते हैं ? वह क्या ज्यादा गउओं के भक्त हैं ? हम लोगों का एक भी मेम्बर नहीं है.....

MR. CHAIRMAN : It is done by ballot ?

श्री रणधीर सिंह : हमारा एक भी मेम्बर नहीं आता है, इनके 6–6 आते हैं।

**Expunged as ordered by the Chair.

यह क्या बात है ? मेरे पास सौ गायें हैं, मिनिस्टर के पास सौ गायें हैं। यह कहां के गायों के भक्त बन गए ? इनके पास एक नहीं है। 50 से 60 परसेंट सवाल पूछने वाले मेम्बर उधर के हो जाते हैं, यह कैसे होता है ? यह चीज आन दि बेसिस आफ नम्बर आफ मेम्बर्स होनी चाहिए।

Kindly pass it on to the authorities.

MR. CHAIRMAN : We can discuss the procedure later on.

SHRI DWAIPAYAN SEN (Katwa) : If they are not satisfied with his reply, let them raise it under the rules. Let them follow the procedure.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : When a Government organisation or a public organisation has to sell cattle or anything auction is considered to be the proper method in order to avoid many malpractices because it is a question of realisation of revenue. So, cattle have to be sold to the highest bidders. We cannot discriminate on that basis. Suppose, the highest bidder is a farmer, certified by some sarpanch or tehsildar, I do not think we can challenge the *bona fides* of the person and go into his mind for what purpose he is possessing it. It is the responsibility of the State, where cow-slaughter is banned, to see that cow slaughter is not allowed. It is the responsibility of the State Government and I am not prepared to accept any responsibility in regard to this.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Are you prepared to hold an inquiry?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Then some reference has been made to some officers and to Shri Datar Singh, who is not here to defend himself. May I say for Shri Shastri's information that Shri Datar Singh is one of the well known cow-lovers of this country. His services were recognised by Mahatma Gandhi, Dr. Rajendra Prasad and even Dhebharbhai. Dhebarbhai considered him to be one of the best workers in this country who has done a lot for the cow.

SHRI RANDHIR SINGH : Dhebarbhai made a report against Sardar Datar Singh.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Dhebarbhai even now holds him in the highest esteem as a person who loves the cow. I do not think we should make any charges against such persons. If we do it the only result will be that voluntary workers who are doing some work will be discouraged from taking up such work. I do not think that Shastriji's intention was that.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ढेबर भाई और श्री विभूति मिश्र जी की रिपोर्ट क्या है ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : Shri Bibhuti Mishra was a member because a committee was appointed by my Ministry to evalute the work of the Central Council of Gosamvardhan including *gosadans*.

Shri Bibhuti Mishra has not submitted any separate report to us apart from the report which has been submitted by the Evalution Team. The Evalution Team has suggested to us that of the management of Gosadans should be transferred to the State Government. I have no objection. After all, the State Government are closer to the situation and they would be perhaps in a better position to manage them. My Miinstry will have no objection at all, nor the Central Gosamvardhan Council, to transfer the management of Gosadans to the State Government.

Then, the hon. Member, Shri Kanwar Lal Gupta, said that the Delhi Administration has sent some reports. We have not received any report from the Delhi Administration so far. If the Delhi Administration send us any report, we will examine it on the basis of fact mentioned therein. The Evalution Team has gone into the working of the Central Gosamvardhan Council and I see no reason why a separate inquiry necessary.

At the end, I would say that what really should attack the attention of the Parliament is what should be done in order to improve the status of cows or the status of cattle in the country. Unfortunately, we

[Shri Annasahib Shinde]

worship cow but we neglect cow. Though therd are many worshippers of cow and we say so many, things in favour of cow, in practice, we do nothing. That is why cows in our country give very little milk as compared to the world average. So, the scientific attitude is necessary if we have to develop cow as a very useful animal in the country.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : What about the Delhi Administration's suggestion?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : If the Delhi Administration wants, they may start on their own. We have no objection. This is not the activity of the Central Government. If the State Governments are interested, let them start on their own. The Delhi Administration is also having their own administration. Instead of criticising the Central Government, why not the Delhi Administration really do something and set an example to others as to how Gosadans can be managed?

श्री ओम प्रकाश त्यागी : उन सब चार्जेज का आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, जो चार्जेज यहां लगाये गए हैं. . . [व्यवधान]. .

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I am saying on the basis of information with me. I can appreciate the anxiety of the hon. Member. I can only say on the basis of the information with me.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : पार्लियामेन्ट के मेम्बर आपको इनफर्मेशन दे रहे हैं लेकिन आप इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार नहीं हैं ।

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I do not agree with you as to what transpired there.

Then, somebody said that cattle are being taken to China. I do not think there is any such movement of cattle because it will be uneconomical to take cattle to such a long distance. The Government of India at least has no such information from any State Governments.

18.15 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, December 14, 1968/Agrahayana 23, 1890 (Saka)

NDPI—1010. 3-69